

क्रमांक प.३(३) चिकि.५ / २०१४

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-५) विभाग

जयपुर दिनांक ६/१२/१५

संशोधन आदेशः

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक ४.१२.२०१४ द्वारा बाजार में उपलब्ध पोषक आहार (Nutrition Supplements) की निगरानी, जांच के लिए गठित समिति (Committee for monitoring Nutrition Supplements) में क्रम संख्या २ पर "निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर" के स्थान पर "संयुक्त निदेशक(ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान जयपुर" को समिति सदस्य नियुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति विभाग में सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(आर.के.सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. विशिष्ठ सहायक मा.मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
३. मिशन निदेशक एनएचएम/प्रबंध निदेशक आरएमएससी।
४. निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर
५. डा.आदित्य अत्रे, संयुक्त निदेशक(ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर
६. श्री अजय जैन औषधि नियंत्रक II चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर
७. रक्षित पत्रावली

पंडित
शासन उप सचिव